

ई-मेल

कमांक

36333-36451

एस.ई.॥/ई-2

दिनांक 4/10/2019

प्रेषक

महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
हरियाणा, पंचकूला।

प्रेषित

सभी आदान एवं संवितरण अधिकारी,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
(हरियाणा राज्य में)।

विषय:-

Regarding implement of Transfer Policy.


यादी

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि विभाग द्वारा वी0एल0डी0एज0 व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की On Line Transfer Policy लागू की जानी है, जिसके लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान दिया जाये :-

1. सभी वी0एल0डी0एज0 व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का एच0आर0एम0एस0 में सही डाटा पूर्ण कर लिया जाये।
2. सभी वी0एल0डी0एज0 व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का MIS (Management information System) के अन्तर्गत update करें जैसे कर्मचारी/अधिकारी की ID, Service profile HRMS में डाली जाये तथा कर्मचारियों का कोई भी किसी तरह का बदलाव चाहे, Transfer, Promotion आदि में हो तो तुरन्त update करें।
3. कर्मचारियों का कोई भी 'कपल केस' हो तो विशेष निति के तहत HRMS दर्शाया जाये।
4. सभी आदान एवं संवितरण अधिकारी सभी कर्मचारियों का रिकार्ड पूर्णतः HRMS में update करते हुए दर्शायें।
5. कोई भी कर्मचारी किसी बीमारी से ग्रसित है या दिव्यांग है, तो उसके प्रमाण पत्र सहित उसका डाटा HRMS में update करें।
6. सभी कर्मचारियों/अधिकारियों की उम्र एवं सर्विस अवधि एवं कितने दिनों से वहां तैनात है, का रिकार्ड भी HRMS update करें।

यदि किसी भी कार्यालय द्वारा रिकार्ड HRMS में गलत पाया गया तो उस कार्यालय के अधिकारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही करने बारे मुख्य सचिव महोदय को लिख दिया जाएगा।

इस ओर निजि ध्यान दिया जाये।



गौशाला विकास अधिकारी,
कृते: महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग,
हरियाणा, पंचकूला।

